शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

नए भारत के निर्माण में कौशल विकासः आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं प्रयास

डॉ० सपना जैन
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
श्री के०के० जैन (पी०जी०) कॉलेज, खतौली, मुजफ्फरनगर

सारांश

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कौशल व ज्ञान काफी महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की चुनौतियों का सामना करने में तथा अवसरों का लाभ उठाने में उन राष्ट्रो को अधिक सफलता मिलती है, जिनमें कौशल एवं ज्ञान के अधिक उन्नत स्तर मौजूद होते है। भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है। यहाँ की 65 फीसदी जनसंख्या 15–35 साल के युवाओ की है व इस युवा शक्ति का इस्तेमाल कर भारत दुनिया की कौशल राजधानी बन सकता है। कौशल, किसी भी देश की आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक विकास का स्वचालित ईंजन हैं इसलिए अर्थ व्यवस्था का विवेकीकरण करने, विकास प्रक्रिया को नव–प्रवर्तित करने, निर्माण और विनिर्माण की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन की लागत घटाने के साथ विकास को अनवरत बनाए रखने के लिए हमेशा कौशल मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। सन् 2030 तक विश्व में स्वचालन के कारण 40–80 करोड़ लोग अपना रोजगार गवां देगे। उन्हे कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए नये प्रकार के कौशल की आवश्यकता होगी। इस परिपेक्ष्य में तकनीकी स्थिति, अनुकूल जनसांख्यिकी उपलब्धता के सरंचनात्मक लाभ को देखते हुए तकनीकी क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है। कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत अपने 95 फीसदी अकुशल श्रम बल का सम्पूर्ण तो नहीं पर अधिकांश को अत्याधिक एवं प्रतियोगिता को लायक बना सकता है। इसलिए देश के संसाधनों के बहुआयामी सदूपयोग और आबादी के उचित समायोजन हेतु आज कौशल विकास अपरिहार्य हो गया है। किन्तु भारत आज दुनिया का सर्वाधिक युवा देश होने के बावजूद इसे कार्यशील व कुशल आबादी में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती है। प्रस्तुत लेख में हमारे

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ० सपना जैन,

''नए भारत के निर्माण में कौशल विकासः आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं प्रयास''
शोध मंथन,
सितम्बर 2017,
पेज सं0 213–221
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No. 31

नए भारत के निर्माण में कौशल विकासः आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं प्रयास

डॉ० सपना जैन

यहाँ भारत में कौशल विकास योजनाओ की आवश्यकता व महत्व के साथ–साथ, इसके क्रियान्वन में आने वाली चुनौतियों तथा सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न कौशल विकास योजनाओ व उनकी सफलता हेतु विभिन्न उपायो की चर्चा की गई है।

''कौशल विकास सरकार की गरीबी के खिलाफ एक जंग है और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस जंग का सिपाही है।''

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री

''भारत फिलहाल बड़ी जनांकिक सम्भावना के साथ सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थ व्यवस्था है। इस विशाल आबादी को कौशल के जरिये उत्पादक कार्यो में बदला जाए तो इसे सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर तेज होने के मार्ग परस्त हो सकता है''।

अमिताभकान्त, सी.ई.यो,
नीती आयोग

प्रस्तावना

विश्व की पहली औद्योगिक क्रान्ति में माप इंजन ने कई यान्त्रिक उत्पादो का अविष्कार किया। जब दुसरी औद्योगिक क्रान्ति हुई तब विद्युत के कारण बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे उत्पादन सम्भव हो सका। इसके बाद 1960 ई० में आई तीसरी क्रांति ने कम्पयूटर, डिजिटल तकनीक और इन्टरनेट के द्वार खोले, वहीं वर्तमान दौर आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस का है। इस चौथी औद्योगिक में ऐसा उल्टफेर होने वाला है, जिसका अनुमान लगाना कठीन है क्योंकि यह औद्योगिक क्रान्ति ऐसी तकनीको से परिपूर्ण होगी, जो उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण के क्षेत्रो में आमूल–चूल परिवर्तन करने वाली है व इसके चलते रोजगार पर गहन दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है। आकलन बताते है कि 2025 तक भारत के पास दुनिया की सर्वाधिक श्रम–शक्ति होगी। उस दौरान दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास कुशल श्रम में लगातार कमी होगी। इस परिपेक्ष्य में तकनीकी स्थिति, अनुकूल जन–सांख्यिकीय उपलब्ता के संरचनात्मक लाभ को देखते हुए तकनीकी कौशल में भारत अग्रणी हो सकता है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक एवं समाजिक विकास में कौशल व ज्ञान काफी महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की चुनौतिया का सामना करने में तथा अवसरो की लाभ उठाने में उन राष्ट्रो की अधिक सफलता मिलती है जिनमें कौशल एवं ज्ञान के अधिक उन्नत स्तर मौजूद होते है।

अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने, देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ाने, कौशल पूंजी निर्माण, आय व रोजगार के अवसरों में बढ़ौतरी करने हेतु व हमारी युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में अधिकतम योगदान लेने की उद्देश्य से सरकार ने ''कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग'' जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी का ''कौशल विकास एवं उद्यमिता मन्त्रालय'' (एम. एस.डी.ई.) के रूप में 9 नवम्बर 2014 को प्रोन्नयन कर दिया गया है। यह मंत्रालंय देश के अन्य मंत्रालयों व महत्वपूर्ण विभागोंके साथ तालमेल करके देश के युवाओ को कौशल विकास प्राशिक्षण, शिक्षा, रोजगार प्राप्ति व स्वरोजगार प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है।

कौशल विकास की आवश्यकता एवं महत्व

देश के संसाधनो के बहुआयामी सदुपयोग और बढ़ती आबादी के उचित समायोजन हेतु इस नीति का प्रमुख लक्ष्य बड़े पैमाने पर उचित मानको पर आधारित, कौशल विकास तथा नव–प्रवर्तनों के द्वारा ऐसी उद्यम परम्परा को जन्म देना है जिससे देश की सारी जनता के लिए रोजगार और आय का सृजन करके जीवन यापन के लिए उपयुक्त एवं धारणीय अवसर पैदा करना है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवा कर उनका सशक्तिकरण करना है। इसके साथ–साथ व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र में उत्पादकता व संवृद्धि हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर देने की आवश्यकता हैः–

1. रोजगार एवं आय में वृद्धि हेतु गुणात्मक कौशल व्यवस्था करना।
2. प्रशिक्षण –ढांचे एवं प्रशिक्षको की क्षमता में सुधार लाना।
3. कौशल प्रशिक्षण एवं सामान्य शिक्षा व्यवस्था में तालमेल बैठाना।
4. कुशल–श्रम की मांग के अनुसार उसकी आपूर्ति की व्यवस्था करना।
5. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाऐं उपलब्ध करवाना।
6. इसके साथ–साथ कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चितकरवाना।
7. चीन की धीमी आर्थिक विकास दर का फायदा उठाने हेतू
8. भारत को विश्व कौशल की राजधानी बनाना।

कौशल विकास में मुख्य चुनौतियाँ

अभी कौशल विकास के मामले भारत दुनिया के मानको में बहुत निचले पायदान पर है। विकसित देशों में जहाँ कुशल कार्यबल, कुल कार्य बल का 60 से 90 प्रतिशत के बीच है। वह भारत में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ 4.7 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। अमेरिका में 52 प्रतिशत, इग्लैंड में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत और दक्षिण कोरियर में 96 प्रतिशत श्रम बल को औपचारिक कौशल– प्रशिक्षण प्राप्त है। इस प्रकार श्रम बाजार की स्थितियों और तीव्र आर्थिक वृद्धि की जरूरतों को देखते हुए हमारे यहाँ कौशल विकास तन्त्र के समक्ष काफी चुनौतियाँ है और उनका गुणवत्ता, उपलब्धता, पहुंच एवं प्रासांगिकता पर असर पड़ता है। उनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैः–

1. खराब व असक्षम शिक्षा पाने वाले युवाओं की संख्या में लगातार बढ़ौतरी का होना।
2. युवाओ की संख्या की तुलना में प्रशिक्षण क्षमताओ का सीमित एवं असमान वितरण।
3. कुशल कामगारों की ऊँची मांग और रोजगार पाने की कम योग्यता का होना।
4. विभिन्न क्षेत्रों में मेल एवं समन्वय का अभाव पाया जाना।
5. आधाभूत सरंचना जैसे विद्युत एवं इन्टरनेट सुविधाओं की कमी का होना।
6. प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमो के विकास पर ध्यान नहीं होने के कारण अच्छे प्रशिक्षको का अभाव का पाया जाना।

7. युवाओ में रोजगार के बारे में समुचित जानकारी न होने की वजह से कौशल प्राप्त की इच्छा शक्ति का अभाव।

8. चमक खोते दस्तकारी एवं हथकधा क्षेत्रों में ग्रामीण बुनकरो और शिल्पकारोके उन्नयन की सख्त आवश्यकता है।

9. ग्रामीण क्षेत्रो में उद्यमिता में कौशल प्रशिक्षण एवं शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है।

10. प्रशिक्षण प्राप्त सभी युवाओं को रोजगार दे पाना असम्भव कार्य।

वित्त व्यवस्था

मानवीय संसाधनो का विकास एवं कौशल प्राप्त भारत का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने एक अलग ''कौशल विकास एवं उद्यमिता। मन्त्रालय'' का गठन किया है जो कि कौशल विकास प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगो एवं कार्यक्रमों के बीच तालमेल बिठायगा। इसके लिए सरकारी सहायता के अलावा, निजी क्षेत्र के उद्यमो को भी वित्तीय ससांधन उपलब्ध करवाने होगे तथा सीधे लाभार्थियों को भी अपनी कुछ भागीदारी देनी होगी। सरकार ने देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने तथा प्रशिक्षण सुविधाओ के खर्च को उठाने के लिए 'राष्ट्रीय कौशल विकास कोश' की स्थापना की गई है व इसके साथ ही एक 'साख गारन्टी कोश' तथा 'राष्ट्रीय साख गारन्टी ट्रस्टी कम्पनी' की भी स्थापना की गई है जो कौशल विकास परियोजनाओ की वित्तीय आवश्यकताओ को पुरा करने में मददगार होगी।

युवाओ में कौशल विकास के सरकारी कार्यक्रम

जनांकिकीय लाभांश की दृष्टि से भारत की अपने कार्यबल को कौशल पूर्ण करना न सिर्फ अपने लिए अपितु दुनिया की सम्भावनाओ से लाभान्वित होने के लिए भी अपरिहार्य हो गया है क्योंकि वर्ष 2025 तक भारत की आबादी 140 करोड़ तक पंहुचने के आसार है। उस दौरान हमारे जनसांकिकीय पिरामिड में 15–64 आयु वर्ग का सर्वाधिक विस्तार होगा। सो अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवता पूर्ण उपयोग करने एवं देश की युवा शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए व कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने हेतु 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' की शुरूआत तथा 'नई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीती' की धोषणा प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को की, साथ ही ''कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग' का प्रोन्नयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मन्त्रालय' (एम.एस.डी.) के रूप में नवम्बर 2014 को किया गया जो देश भर में विभिन्न योजनओ और संगठनो के माध्यम से बड़े पैमाने पर कौशल–विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

भारतीय श्रम शक्ति के 5 प्रतिशत से भी कम अंश को औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है। जिसके कारण उत्पादकता कम रहती है। सो जरुरी है कि सरकार व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र तथा प्रशिक्षण क्षेत्र में कमी की भरपाई के लिए अपना निवेश बढ़ाए। इसके लिए 'कौशल विकास एवं उद्यमियता मन्त्रांलय' द्वारा प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना लागू की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग का कौशल विकास करके उनकी रोजगार क्षमता एवं उत्पादता में वृद्धि

करना है तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन के कार्यक्रमों का सामंजस्य करके कौशल प्राप्त लोगों की सूची तैयार करना व उन्हें लाभान्वित करना है। जून 2017 तक लगभग 40 लाख प्रत्याशियो को प्रशिक्षण दिया गया है व 2022 तक 40 करोड़ युवाओ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है जिसमें 50 प्रतिशत हिस्से दारी महिलाओ की होगी। इस योजना के तहत देश के 596 जिलो में 8479 प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए है। इसके अलावा विदेशों में रोजगार और नौकरी की तलाश करने वाले भारतीय युवाओ की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करने के उद्देश्य से ''प्रवासी कौशल विकास योजना'' शुरू की गई है। इस योजना का नारा सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए, विश्वास के साथ जाए है।

2. दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना (डी डीयू–के वी वाई)

25 सितम्बर, 2014 को पुर्नगठित यह राष्ट्रव्यापी–रोजगार से जुड़ा मांग–आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जिसका वित्त पोषण और संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य रोजगार से जुड़ी आबादी में वैश्विक कमी के कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय अवसरो का लाभ पाने के लिए गरीब ग्रामीण युवाओ को सक्षम बनाना है। इसमें 18–35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओ के लिए पी.पी.पी. मोड़ में बाजारोंन्मुख रोजगार से जुड़े 3, 6, 9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते है।

3. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर एस ई टी)

ग्रामीण युवाओं की पारिवारिक आय में विविधता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने यह योजना चलाई है जो एक त्रिमार्गी योजना है। जिसे ग्रामीण विकास मन्त्रालय, राज्य सरकारे एवं बैंक मिलकर चलाते है। इनका उद्देश्य क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण और व्यवसाय चलाने में मदद कर ग्रामीण क्षेत्रो में स्वरोजगार का सष्जन करना है। ये संस्थान मुख्यतः 4 क्षेत्रों–कृषि, प्रसस्करण, उत्पादन विनिर्माण और सार्वजनिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 334 से अधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देते है। इस योजना में 31 सहयोगी बैंको ने पूरे देश में 586 आर.एस.ई.टी की स्थापना की है।

4. प्रधानमंत्री युवाउद्यमी विकास अभियान (पी.एम.वाई.यू.वी.ए)

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले पाँच वर्षो में देश भर में उच्च शिक्षा के चयनित सस्थानों (विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रमुख शिक्षण संस्थाओ), स्कूलो, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों में उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल परिस्थतियाँ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस के अलावा, छात्रों के लिए ऑनलाईन प्लेट फार्म पर विशेशज्ञो, संरक्षको, परिचालको, कोश एवं वाणिज्यिक सेवाओं की सुदृढ़ व्यवस्था मिलेगी।

5. ग्रामीण उद्यमिता जागरुकता विकास योजना

कौशल कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय ने वर्ष 2015 में खेती–बाड़ी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक क्रान्तिकारी स्टूडेंट रेडी योजना तैयार की है। इसके तहत कृषि शिक्षा में युवाओं की उद्यमशीलता के लिए कौशल विकास को परियोजना के रुप में विभिन्न कृषि विश्व

विद्यालयों मे लागू किया जा रहा है। इस योजना में सरकार का लक्ष्य देश में सालाना 25 हजार से अधिक छात्रों को हुनरमन्द बनाना हैं।

6. प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना

यह योजना सुक्ष्म वित्तियन के माध्यम से देश भर में उद्यमिता, स्वरोजगार और रोजगार का सृजन करती है और इसमें छोटे उद्यमियों को शिशु, किशोर और तरुण के तहत कम ब्याज पर दर पर 50 हजार से 10 लाख रुपये तक की ऋण प्रदान किया जाता है।

7. दीनदयाल अंत्योदय योजना

इसके तहत गरीब ग्रामीण परिवारों के 5–20 महिलाओं के स्वसहायता समूह (एस.एच. जी.) में समूहबद्ध करके उनकी उधमशीलता सम्बन्धी क्षमताओं को विकसित किया जाता है। इसके तहत स्वरोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने हेतु (एस.एच.जी.) को आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को भी शुरु किया गया है अभी तक 19 राज्यों के 183 जिलों की 32.40 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित हो चुकी है।

8. प्रधानमन्त्री कौशल कैन्द्र (पी.एम.के.के.)

यह ऐसे आदर्श कौशल विकास केन्द्र हैं जिसमें औद्योगिक मानकों के अनुरुप कौशल विकास अवसरंचना के निर्माण प्रशिक्षण और प्लेसमेन्ट पर पूरा ध्यान दिया जाता है।

9. तक्षशीला

यह पोर्टल प्रशिक्षकों और मूल्यांकन कर्त्ताओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रबन्धन के लिए एक समर्पित मंच है। इसकी एक विशिष्टता ऐसे योग्य एवं कुशल पेशेवर प्रशिक्षकों के बारे में सूचना मिलना है जिसके माध्यम से सभी राज्यों एवं क्षेत्रों में उपलब्ध कर्मचारी चयन आयोगों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकन कत्ताओं के बारे में आवश्यकतानुसार जानकारी सुगमता से उपलब्ध करवाई जाएगी।

10. उड़ान (यू.डी.ए.ए.एन.)

उड़ान जम्मू–कश्मीर राज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही अनूठी पहल है। इस योजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों, स्नातक/स्नातकोत्तर युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार दिलवाता है अब तक लगभग 84 कॉर्पोरेट्स ने प्रशिक्षण देने के लिए उड़ान महाचयन अभियानों में अपनी सहभागिता की है।

11. हिमायत

जम्मू–कश्मीर के बेरोजगार युवाओं विशेषकर बीच में ही स्कूली/कॉलेज शिक्षा छोड़ देने वाले युवकों के लिए बताया गया प्रशिक्षण–सह–प्लेसमेन्ट कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत युवाओं के बाजार माँग अनुसार कौशल कार्यक्रमों के लिए तीन महीने की लघु अवधि वाले प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

12. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एन.सी.एस.)

इस परियोजना में एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। जिसमें रोजगार के इच्छुक युवाओं और नियोक्ताओं को एक ऐसा राष्ट्रव्यापी ऑनलाईन प्लेटफार्म मिलता है। जिसमें वांछित कार्य/नौकरी की आवश्यकता पूर्ति त्वरित, सक्षम एवं सकारात्मक तरीके से हो सके और जिसमें विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

अन्य रोजगार सृजन के सरकारी प्रयास

इसके लिए सरकार चार स्तरों पर कार्य कर रही है। पहलाः स्किल इण्डिया, दुसराः मेक–इन–इण्डिया, तीसराः स्र्टाट–अप और चौथीः सीधे आजीविका, उद्यमिता व रोजगार सृजन शामिल हो। इनमें से स्किल इण्डिया के तहत विभिन्न सरकारी प्रयासों का वर्णन ऊपर किया गया है और मेक–इन–इण्डिया के तहत 25 उच्च अग्रता वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनुदान, कर रियायत, प्रोत्साहन आदि विभिन्न माध्यमों से भारत सरकार 2020 तक 10 करोड़ नए रोजगार पैदा करने जा रही है। दूसरे 5 अप्रैल 2016 से शरू स्टार्ट अप इण्डिया और स्टैंड अप इण्डिया कार्यक्रम देश भर में रोजगार सष्जन और उद्यामिता का विकास कर रहे है।

सुझाव / उपाय

- कौशल का पैमाना और गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कौशल प्रशिक्षण उसे ग्रहण करने वाले क्षेत्र के सबसे नजदीक प्रदान किया जाए और वहाँ से इसे देश के सुदूर क्षेत्रों में फैलाया जाए।
- कौशल विकास में ऊपर से नीचे के तरीके की समीक्षा होनी चाहिए। राज्य सरकारो को केन्द्रीय वित्तीय मदद से ऐसी योजना बनाने का अधिकार मिलना चाहिए।
- विनिर्माण के साथ सेवा क्षेत्र को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।
- समर्थन, बाजार और ऋण की उपलब्धता तथा कारोबार करने में सुगमता के जरिए वेतन भोगी रोजगार के बजाए उद्यमिता के प्रति ललक जगाई जाए
- कौशल विकास, औद्योगिक विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे युवा आज के उद्योगो की जरूरत के अनुसार कुशल और रोज़गार के लायक हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो की स्थानीय आवश्यकता, संसाधन और परम्परा गत ज्ञान को ध्यान में रखकर हमें कोर्स की विशय–वस्तु तैयार करनी होगी ताकि ग्रामीण अर्थवयव्स्था की जरूरत के हिसाब से कुशल श्रम बल तैयार किया जा सके।
- कौशल विकास कार्यक्रम की गुणवता एवं उपयोगिता को बनाए रखा जाए।
- उपलब्ध व्यवस्था की क्षमता के सभी को समान अवसर दिए जाए।
- स्कूलो व कॉलेज शिक्षा तथा कौशल विकास प्रयास के लिए सही सन्तुलन व सामन्जस्य बनाया रखा जाए।
- प्रशिक्षण के बाद सरकार अभ्यार्थियो को रोजगार की गारन्टी उपलब्ध करावाये ताकी वे रूचि लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

- भविष्य में इन्टर नेट– जनित सेवाओ के बाजार विस्तार को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा ई–सेवाओ की बुनियादी सरंचता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- कृषि क्षेत्र को आजीविका की बजाए उद्यम क्षेत्र में तबदील किया जाए और कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेट्रेडिट परिवहन की सुविधा को बढ़ाया जाए।
- विनिर्माण में रोजगार का आधार छोटे उद्योगो को सरक्षंण प्रदान किया जाए।
- सरकार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओ के निर्यात के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, जबकि निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश के स्थान पर सरकार को इस बाजार के विस्तार के लिए बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए।
- परीक्षा, प्रमाण–पत्रों एवं उनकी सम्बद्धंता की गुणवत्ता बनाई रखी जाए।
- सम्भावित कामगारों को वैसे कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जो कई तरह के काम धन्धों में उपयोगी हो और साथ–साथ खास उद्योगों की जरुरत भी पूरी करता हो।

सारांश

वर्तमान युग में भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार का परिदृश्य बदल रहा हैं। तकनीक आधारित व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को प्रभावित कर रही है। दरअसल, प्रक्रिया एवं तकनीक में बदलाव से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं या पुराने काम के बदले नए तरह के काम आ रहे हैं। परन्तु हमारे यहाँ श्रम बाजार एक विरोधाभास से गुजर रहा है। जहाँ किसी भी नौकरी के लिए बड़ी संख्या में आवदेन पहुंच जाते हैं, लेकिन नौकरी से जुड़े कौशल की शर्त पूरी नहीं हो पाती। इसलिए अर्थव्यवस्था में विकास के अवसरों को देखते हुए कौशल विकास एवं रोजगार सृजन की अत्यन्त आवश्यकता है, सो उपयुक्त नीतियों, उचित कौशल के चयन, मानव पूंजी के विकास और शिक्षा उद्योग जगत के सम्बन्धों के जरिए युवाओं की क्षमताओं का धरातल पर उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा–उद्योग और सरकार के बीच रणनीतिक सम्बन्धों से नवाचार और संगठनों के अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए उन्हें शिक्षा एवं रोजगार परक कौशल प्रदान किया जाना चाहिए और इस दिशा में उद्योग जगत भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वह अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) के बजट के जरिए युवाओं को ऐसे अवसर प्रदान कर सकता है। हमारे यहाँ ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में असाधारण क्षमता और उद्यमिता कौशल है। अगर उन्हें ऐसे परिवेश में लाया जाएगा, जहाँ एक नई सोच को पोशित किया जाता है तो वे अवश्य ही सस्ते और उच्च स्तर के नवोन्मेशी प्रतिभाओं का सृजन कर पाऐगें। इसके साथ ही उन्हें वित–पोषित किया जाए, सही मार्ग–दर्शन मिलें, नेटवर्क सम्बन्धी सहयोग और प्रोद्योगिकी का सहारा मिले, तो उनकी अद्भूत क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है।

अतः देश में बेरोजगारी और बेगारी की समस्या को दूर करने, आय का स्तर उठाने ओर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर

अत्याधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है तथा इस दिशा में मौजूदा प्रयासों के साथ–साथ सरकार को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने और अर्थव्यवस्था के अलग–अलग क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों के अनुरुप ढालना होगा। अगर इसमें सरकार को सफलता मिलती है, तो जनसांख्यिकीय लाभांश के जरिए भारत फिर से ''सोने की चिड़िया'' बन सकता है तथा हर हाथ को हुनर, हर हाथ को रोजगार मिले तो किसी देश के लिए इससे ज्यादा सम्मानजनक स्थिति क्या हो सकती है।

संदर्भ

1. आर्थिक सर्वेक्षण – 2015–16
2. ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार।
3. कौशल विकास एवं उद्यमिता मन्त्रांलय, भारत सरकार।
4. वी.के. पुरी एवं एस.के.मिश्रा, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', (2016) अठाईसवाँ संस्करण, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृष्ठ 150–154
5. कुरूक्षेत्र, जून – 2015 पृष्ठ 24–26